क्रम-संख्या–100

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू/एन0पी0–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 05 मार्च, 2008

फाल्गुन 15 , 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 450/79–वि–1-08-1(क)9/2008

लखनऊ, 05 मार्च, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 04 मार्च 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ,]

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1960 की धारा 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) राज्य सरकार गैर-सरकारी सदस्यों में से एक उप सभापति नियुक्त करेगी।"

धारा 6-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 6-क में, उपधारा (1) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1960) की धारा 5 की उपधारा (2) में यह व्यवस्था है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के सभापति के परामर्श से राज्य सरकार, गैर-सरकारी सदस्यों में से एक पूर्णकालिक उप सभापति की नियुक्ति करेगी और धारा 6-क की उपधारा (1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि बोर्ड का कोई गैर-सरकारी सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा उसका कार्यकाल समाप्त न कर दिया जाय, पद धारण करेगा। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की सिफारिश पर यह विनिश्चय किया गया है कि गैर-सरकारी सदस्यों में से पूर्णकालिक उप सभापति के स्थान पर उप सभापति की नियुक्ति करने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करने की व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 को संशोधित किया जाय। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि बोर्ड को योग्य और अर्ह व्यक्तियों का अधिकतम लाभ प्राप्त होना चाहिए, यह भी विनिश्चय किया गया है कि गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल "दो वर्ष" से घटाकर "एक वर्ष" कर दिया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 450(2)/LXXIX-V-1-1 (ka) 9/2008
Dated Lucknow, March 05, 2008

NOTIFICATION
Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of the Uttar Pradesh Khadi Tatha Gram Udyog Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 04, 2008 :—

THE UTTAR PRADESH KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD (AMENDMENT) ACT, 2008

[U.P. ACT NO. 9 of 2008]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1960.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board (Amendment) Act, 2008. Short title

Amendment of section 5 of U.P. Act no. 10 of 1960

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1960, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted*, namely:–

"(2) The State Government shall appoint a Vice-Chairman from amongst non-official members."

Amendment of section 6-A

3. In section 6-A of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "two years" the words "one year" shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (2) of section 5 of the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1960 (U.P. Act no. 10 of 1960) provides that the State Government shall appoint a full time Vice-Chairman from amongst non-official members in consultation with the Chairman of the Khadi and Village Industries Commission established under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 and sub-section (1) of section 6-A *Inter alia* provides that a non-official member of the Board shall hold office for a period of two years unless his term is determined earlier by the State Government by the notification in the *Gazette*. On the recommendation of the Khadi and Village Industries Commission it has been decided to amend section 5 of the said Act to provide for empowering the State Government to appoint a Vice-Chairman from amongst non-official members instead of full time Vice-Chairman. In order to ensure that the Board should get maximum benifit of able and qualified persons it has also been decided to reduce the term of non-official members from "two years" to "one year".

The Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board (Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By Order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–1150 राजपत्र (हि0)–(2558)–2008–597 प्रतियां–(कम्प्यू0टी0/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–449 सा0 विधायी–(2559)–2008–850 प्रतियां–(कम्प्यू0टी0/आफसेट)।